




भारतीय संवधान के भाग

॥



भारतीय संविधान के भाग

भाग I

(अनुच्छेद 1 - 4)

संघ एवं उसका क्षेत्र

भाग IV

(अनुच्छेद 36 - 51)

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत

भाग V

(अनुच्छेद 52 - 151)

संघ (कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघीय न्यायपालिका, CAG)

भाग II

(अनुच्छेद 5 - 11)

नागरिकता

भाग IV-A

(अनुच्छेद 51-A)

मौलिक कर्तव्य

भाग VI

(अनुच्छेद 152 - 237)

राज्य (कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय)

भाग III

(अनुच्छेद 12 - 35)

मौलिक अधिकार

भाग VII (अनुच्छेद 238) - निरसित

भाग VIII

(अनुच्छेद 239 - 242)

केंद्रशासित प्रदेश

भाग IX

(अनुच्छेद 243 - 243-O)

पंचायत

भाग IX-A

(अनुच्छेद 243-P - 243-ZG)

नगरपालिका

भाग IX-B

(अनुच्छेद 243-ZH - 243-ZT)

सहकारी समितियाँ

भाग X

(अनुच्छेद 244 - 244-A)

अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

भाग XI

(अनुच्छेद 245 - 263)

संघ और राज्यों के बीच संबंध (विधायी एवं प्रशासनिक)

भाग XII

(अनुच्छेद 264 - 300-A)

वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे

भाग XIII

(अनुच्छेद 301 - 307)

भारतीय राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

भाग XIV

(अनुच्छेद 308 - 323)

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ

भाग XIV-A

(अनुच्छेद 323-A - 323-B)

न्यायाधिकरण

भाग XV

(अनुच्छेद 324 - 329-A)

चुनाव

भाग XVI

(अनुच्छेद 330 - 342-A)

कुछ वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग) से संबंधित विशेष प्रावधान

भाग XVII

(अनुच्छेद 343 - 351)

राजभाषा

भाग XVIII

(अनुच्छेद 352 - 360)

आपातकालीन प्रावधान

भाग XIX

(अनुच्छेद 361 - 367)

विविध

भाग XX

(अनुच्छेद 368)

संविधान संशोधन

भाग XXI

(अनुच्छेद 369 - 392)

अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान

भाग XXII

(अनुच्छेद 393 - 395)

संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ (Authoritative Text), निरसन



Drishti IAS